बरेली पुलिस
प्रेस नोट दिनांक 14.02.2026
थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

थाना भोजीपुरा #bareillypolice द्वारा गोकशी करने वाले 02 शातिर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार (एक घायल), कब्जे से अवैध असलाह एवं गौकशी के उपकरण बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दिनांक 13/14.02.2026 की रात्रि में थाना भोजीपुरा, बरेली पुलिस ने घुमंतु गौवंशीय पशुओं का वध/ गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भोजीपुरा पर मु0अ0सं0 89/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 14.02.2026 को थाना प्रभारी भोजीपुरा मय पुलिस बल क्षेत्र में गश्त पर थे, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिघांई कायस्थान के जंगल में कुछ बदमाश गौकशी की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तो समय करीब 02:10 बजे बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें एक गोली कां0 रिंकू के बाजू को छूते हुए निकल गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में राजू पुत्र अली जान कुरैशी निवासी मोलागढ़ थाना भोजीपुरा बरेली के गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा, दो जिंदा कारतूस व एक अवैध छुरी बरामद हुई। साथ ही मौके से इकराम पुत्र छोटन निवासी वार्ड-9 धौराटांडा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से गौकशी के उपकरण बरामद हुए।

मौके से रात्रि के अंधेरे का लाभ उठाकर अभियुक्त 1. शकील अहमद पुत्र वकील अहमद उर्फ मुंछ नि0- वार्ड नं० 6 कस्बा धोराटाण्डा थाना भोजीपुरा, बरेली 2. जाहिद उर्फ अण्डा पुत्र अली अहमद उर्फ भूरा नि0- वार्ड नं० 06 कस्बा धोराटाण्डा थाना भोजीपुरा, बरेली 3.जावेद अहमद पुत्र शरीफ अहमद नि0- वार्ड नं० 9 कस्बा धोराटाण्डा थाना भोजीपुरा, बरेली 4. जीशान पुत्र शरीफ उर्फ मेहँती नि0- ग्राम अलीनगर थाना भोजीपुरा, बरेली 5. नदीम उर्फ बड़े पुत्र चवन्नी उर्फ रहीसा नि0- ग्राम अलीनगर थाना भोजीपुरा, बरेली फरार हो गए, जिनकी तलाश में कॉम्बिंग जारी है। घायल अभियुक्त व घायल पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी भोजीपुरा भेजा गया है।

अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 89/26 धारा 109(1) बीएनएस तथा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। पूर्व में थाना भोजीपुरा, बरेली पर अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 51/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त इमरान कुरैशी का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 1003/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्जतनगर, बरेली।
2.मु0अ0सं0 1031/21 धारा 3/8 सीएस एक्ट थाना इज्जतनगर, बरेली।
3.मु0अ0स0 26/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इज्जतनगर, बरेली।
4. मु0अ0सं0 182/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।
5. मु0अ0सं0 51/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।
6. मु0अ0सं0 89/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।

अभियुक्त राजू कुरैशी का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 301/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
2.मु0अ0सं0 455/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
3.मु0अ0स0 462/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
4.मु0अ0सं0 689/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
5.मु0अ0सं0 205/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली ।

8.मु0अ0सं0 210/23 धारा 379/411 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
9.मु0अ0सं0 214/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
10.मु0अ0सं0 366/23 धारा 380/411/413/420 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
11.मु0अ0सं0 520/23 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा जिला बरेली ।
12.मु0अ0सं0 538/23 धारा 379/411 भादवि थाना भोजीपुरा जिला बरेली ।
13.मु0अ0सं0 236/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली।
14.मु0अ0सं0 408/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली।
15. मु0अ0सं0 435/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली।
16. मु0अ0सं0 131/23 धारा 380/411 भादवि थाना हाफिजगंज जिला बरेली।
17. मु0अ0सं0 144/23 धारा 380/411 भादवि थाना हाफिजगंज जिला बरेली।
18. मु0अ0सं0 186/23 धारा 380/411 भादवि थाना हाफिजगंज जिला बरेली।
19. मु0अ0सं0 244/23 धारा 380/411 भादवि थाना हाफिजगंज जिला बरेली।
20. मु0अ0सं0 264/23 धारा 380/411 भादवि थाना हाफिजगंज जिला बरेली।
21.मु0अ0सं0 51/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।
22. मु0अ0सं0 89/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।

<u>पूछताछः-</u>

अभियुक्त इमरान कुरैशी ने बताया कि वह और उसका साथी राजू कुरैशी जो पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है तथा अन्य साथी शकील अहमद, जाहिद उर्फ अण्डा, जावेद अहमद, जीशान व नदीम उर्फ बड़े जो रात्रि का फायदा उठाकर मौके से भाग गए थे। बताया कि हम लोग मिलकर सड़क पर घूम रही गायों को पकड़कर उनका वध करते हैं और उनका मांस बेच देते हैं। साथ ही देर रात में चोरी भी करते है। आज रात हम सभी लोग सिंघाई कायस्थान के जंगल में गौकशी करने जा रहे थे कि आप लोग वहाँ पहुँच गए। आपको देखकर हम घबरा गए और सोचा कि अब तो पकड़े ही गए। तब हमने आप लोगों से बचकर भागने के लिए जान से मारने की नीयत से आपके ऊपर गोली चलाई थी।

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

1. एक अवैध तमंचा 315 बोर
2. एक खोखा 315 बोर
3. दो जिंदा कारतूस 315 बोर
4. दो अवैध छुरी
5. गौकशी करने में प्रयुक्त उपकरण।

<u>पुलिस टीम का विवरणः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
2. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
3. उ0नि0 श्री वीर सिंह, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
4. का0 2040 अंकित कुमार, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
5. का0 341 हिमांशू, थाना भोजीपुरा जिला बरेली।
6. कां0 रिंकू थाना भोजीपुरा जिला बरेली (घायल)।